न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या :— 2/15
उनवान :— मुरली बनाम बरफो वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	वि0 वि0
29.6.2017	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण सिलिया पुत्र स्व0 दीना पौत्र श्योजी वगैरा द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । जिसमें प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 56/11 में पारित निर्णय दिनांक 27.7.12 के खिलाफ यह रिव्यू प्रार्थना पत्र है । उक्त निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी थी । हमारी तामील नहीं कराई गई । हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जावे । अपीलांट द्वारा जो अपील पेश की गई थी, उसमें श्योजी को निःसंतान बताया गया है, जबकि उसका एक मात्र वारिस हमारा पिता दीना था और दीना के देहान्त के बाद हम जायज वारिस हैं । इस प्रकार विवादित भूमि में हमारा 1/2 हिस्सा निहित है और हम इसी प्रकार हिस्सानुसार काबिज हैं । अदालत हाजा द्वारा राजीनामा के आधार पर उक्त अपील का निस्तारण किया गया है, जबकि राजीनामा फर्जी है । उस पर पक्षकारों की ओर से किसी अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं है । सभी पक्षकारों के राजीनामा पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी कराये जाने चाहिये । विवादित भूमि के 1/2 भाग पर बंशी और 1/2 भाग पर दीना, जो कि हमारा दादा था, का हक निहित है, परन्तु अदालत हाजा द्वारा इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया और फर्जी राजीनामा के आधार पर निर्णय दिनांक 27.7.12 पारित कर दिया, जो कि न्यायसंगत नहीं है । अतः निवेदन है कि यह रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे । भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन अलवर	

Scanned by CamScanner

जवाब में विद्वान वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि कृपया निर्णय दिनांक 27.7.12 का अवलोकन फरमावें, जिसमें सभी पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज है और सभी के राजीनामा पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी है । मियाद के बिन्दू पर लिबरल व्यू तभी अपनाया जा सकता है, जब देरी के संतोषजनक कारण बताये जावें । इनको पूर्व निर्णय दिनांक 27.7.12 की पहले से ही जानकारी थी । परन्तु हमको अनावश्यक रूप से परेशान करने की नियत से मियाद बाहर यह प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है । अगर इनको लगता है कि राजीनामा फर्जी है तो इसके लिये सक्षम न्यायालय में जावे । राजस्व न्यायालय में इस बिन्दू को नहीं उठाया जा सकता । ना ही रिव्यू के प्रार्थना पत्र में इस बिन्दू को उठाया जा सकता है । रिव्यू का प्रार्थना पत्र तभी लगाया जाता है, जब ऐसा कोई कानून अथवा दस्तावेज मूल निर्णय पारित करते समय न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया हो । गुणावगुण के बिन्दू पर रिव्यू प्रार्थना पत्र में कोई विवेचन नहीं किया जा सकता । रिव्यू का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है । प्रार्थीगण ने ऐसा कोई नया तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया है, जो मूल निर्णय पारित करते समय नहीं लाया गया हो । यह प्रार्थना पत्र सारहीन है । अतः निवेदन है कि इसे खारिज किया जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । साथ ही अदालत हाजा द्वारा अपील संख्या 56/11 उनवान मुरली वगैरा बनाम बरफो वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 27.7.12 का भी अध्ययन किया । उक्त निर्णय राजीनामा के आधार पर पारित किया गया है । अगर प्रार्थीगण को लगता है कि राजीनामा फर्जी है तो इसके लिये सक्षम न्यायालय में चारागाजोही करे । अदालत हाजा को राजीनामा की वैधता के बिन्दू को तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । मूल निर्णय दिनांक 27.7.12 को पारित किया गया था

Scanned by CamScanner

तथा यह रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 3.2.15 को पेश किया गया है । इस प्रकार करीब 3 साल बाद यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा देरी का संतोषजनक कारण भी नहीं बताया है । रिव्यू का प्रार्थना पत्र तभी पेश किया जाता है, जब मूल निर्णय पारित करते समय कोई कानून अथवा दस्तावेज न्यायालय के ध्यान में नहीं आया हो, जो अब ध्यान में लाया गया हो । विद्वान वकील प्रार्थीगण ने अपने इस प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई नई चीज नहीं लाई गई है । इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र सारहीन है, जो खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि यह रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner